इंदिरा नहर से 20 दिन से रोज 50 एमएलडी पानी कम, महीने में पांच अतिरिक्त कटौती से संभाल रहे शहर की प्यास

जोधपुर को रोज चाहिए 400 एमएलडी पानी, मिल रहा केवल 350 एमएलडी, जलाशयों का स्तर बनाए रखने के लिए हर पांचवें दिन रोकी जा रही आपूर्ति

नवज्योति/ जोधपुर। गर्मी के बीच जोधपुर की पेयजल जरूरत पूरी करने वाली इंदिरा गांधी नहर से पिछले करीब 20 दिनों से प्रतिदिन 50 एमएलडी पानी कम मिल रहा है। शहर को रोजाना करीब 400 एमएलडी पानी की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में नहर से केवल 350 एमएलडी पानी ही पहुंच रहा है। रोजाना बने 50 एमएलडी के अंतर के कारण शहर के प्रमुख जलस्त्रोतों और जलाशयों में पानी का स्तर आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

पानी की उपलब्धता और मांग के बीच बढ़े अंतर को संभालने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन जलापूर्ति की व्यवस्था तो जारी रखी है, लेकिन जलाशयों का स्तर बनाए रखने के लिए हर पांचवें दिन अतिरिक्त जल कटौती करनी पड़ रही है। इस व्यवस्था के चलते एक महीने में करीब पांच बार अतिरिक्त कटौती कर जैसे-तैसे शहर की पेयजल व्यवस्था संभाली जा रही है।अतिरिक्त कटौती के दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित जलापूर्ति स्थगित कर पानी को जलाशयों में सुरक्षित रखा जाता है।इसके बाद जलस्तर आवश्यकता के अनुरूप होने पर आपूर्ति व्यवस्था दोबारा शुरू की जाती है। हालांकि, बार-बार हो रही कटौती के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को निर्धारित अंतराल से अधिक समय तक पानी का इंतजार करना पड़ रहा है।

रास्ते के गांव-कस्बों में बढ़ी मांग, जोधपुर तक पहुंचने वाला पानी घटा

दरअसल, गर्मी के दिनों में जोधपुर शहर के साथ इंदिरा गांधी नहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की मांग बढ़ जाती है। नहर से जोधपुर तक पानी पहुंचने के दौरान मार्ग में आने वाले गांवों और कस्बों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी मांग के कारण जोधपुर तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा में प्रतिदिन करीब 50 एमएलडी की कमी दर्ज की जा रही है।

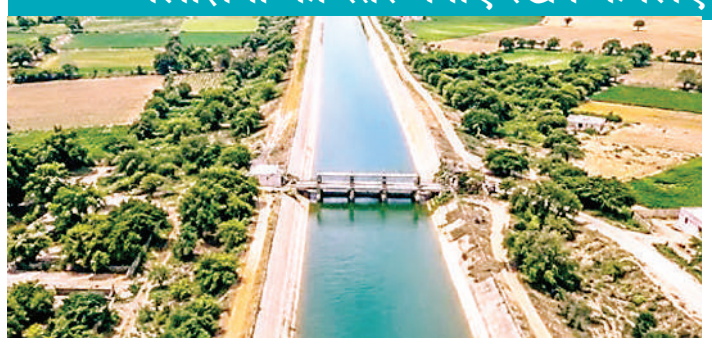

सामान्य स्थिति में जोधपुर की दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए करीब 400 एमएलडी पानी मिलना जरूरी है। वर्तमान में 350 एमएलडी पानी मिलने से प्रतिदिन मांग और उपलब्धता के बीच करीब 12.5 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है। लगातार 20 दिन के हिसाब से देखें तो शहर को आवश्यकता की तुलना में करीब 1,000 एमएलडी पानी कम मिला है। यही कमी जलाशयों के स्तर और शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पर असर डाल रही है।

एकांतरे जलापूर्ति के बीच अतिरिक्त कटौती बढ़ा रही इंतजार

शहर में पहले से ही एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में अतिरिक्त कटौती होने पर संबंधित क्षेत्रों का जलापूर्ति चक्र और आगे खिसक जाता है। जिन क्षेत्रों में निर्धारित दिन पानी नहीं मिल पाता, वहां लोगों को अगली आपूर्ति तक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ रहा है। पीएचईडी फिलहाल उपलब्ध पानी के अनुसार शहर के जलापूर्ति तंत्र को संतुलित रखने का प्रयास कर रहा है। विभाग के सामने चुनौती यह है कि एक तरफ जलाशयों में न्यूनतम आवश्यक जलस्तर बनाए रखा जाए और दूसरी तरफ शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जलापूर्ति का क्रम भी प्रभावित नहीं हो। इसी कारण नियमित एकांतरे आपूर्ति के साथ हर पांचवें दिन अतिरिक्त कटौती का क्रम चलाया जा रहा है।

ऊंचाई पर बसी कॉलोनियों में कमजोर प्रेशर, जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा पानी

पानी की कम उपलब्धता का सबसे अधिक असर शहर के ऊंचाई वाले इलाकों और अंतिम छोर पर बसी आवासीय कॉलोनियों में दिखाई दे रहा है। इन क्षेत्रों में भी अन्य इलाकों की तरह एकांतरे जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन आपूर्ति के दिन कमजोर दबाव के कारण कई घरों तक आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं पहुंच पा रहा है।कम प्रेशर के कारण कई बार ऊंचाई पर बने मकानों की पानी की टंकियां पूरी नहीं भर पातीं। ऐसे में परिवारों को अगली जलापूर्ति तक उपलब्ध पानी से ही काम चलाना पड़ता है। गर्मी में घरेलू पानी की जरूरत बढ़ने के कारण समस्या और गंभीर हो रही है। पानी की कमी अधिक होने पर कई कॉलोनियों के लोग समूह बनाकर निजी टैंकर मंगवा रहे हैं। टैंकर की राशि परिवारों के बीच बांटकर अपने हिस्से का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद उपलब्ध पानी को घरों की टंकियों में भरकर अगली जलापूर्ति तक काम चलाया जा रहा है।

पाइपलाइन से बाहर बसी कॉलोनियां पूरी तरह टैंकरों पर निर्भर

शहर के बाहरी और दूर-दराज क्षेत्रों में विकसित कई छोटी आवासीय कॉलोनियों की समस्या अलग है। लोगों ने भूखंड खरीदकर मकान तो बना लिए, लेकिन कई कॉलोनियां सरकारी मापदंडों के अनुरूप स्वीकृत जलापूर्ति क्षेत्र में नहीं आने के कारण वहां पेयजल पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकी है। पाइपलाइन नेटवर्क नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवार पहले से ही टैंकरों के पानी पर निर्भर हैं। गर्मी में पानी की मांग बढ़ने के साथ टैंकरों की जरूरत भी बढ़ गई है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को घरेलू जरूरत के पानी के लिए नियमित रूप से निजी टैंकर मंगवाकर अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है।

20 दिन में करीब 100 करोड़ लीटर पानी की कमी

इंदिरा नहर से प्रतिदिन 50 एमएलडी पानी कम मिलने का क्रम पिछले करीब 20 दिनों से जारी है। इस हिसाब से आवश्यकता की तुलना में करीब 1,000 एमएलडी यानी लगभग 100 करोड़ लीटर पानी कम मिला है। पानी की यही कमी शहर के जलाशयों का स्तर बनाए रखने में बड़ी चुनौती बन रही है। फिलहाल पीएचईडी अतिरिक्त कटौती और एकांतरे जलापूर्ति के जरिए उपलब्ध पानी का संतुलन बनाए हुए है। लेकिन नहर से मिलने वाले पानी की मात्रा जल्द सामान्य नहीं हुई तो गर्मी के बीच ऊंचाई वाले और अंतिम छोर के क्षेत्रों में कम दबाव तथा अपर्याप्त जलापूर्ति की समस्या और बढ़ सकती है।

कार्यालय नगर निगम, पाली
(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली, पिनकोड–306401)
टैलीफोन :– 02932–250033 ई–मेल :–cmcpali@yahoo.co.in
क्रमांक : प.19( )गैराज/2026/684 दिनांक : 13.07.2026
ई निविदा सूचना संख्या 12/2026–27
नगर निगम, पाली की ओर से पाली नगर निगम एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया से गैराज शाखा पर निम्न कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो वेबपोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in निम्नलिखित UBN अनुसार डाउनलोड तथा देखी जा सकती है।
जिसके UBN नम्बर DLB2627SLOB10189 है।
आयुक्त
नगर निगम, पाली
राज.संवाद/सी/26/7004
DNJ-404796

Rajasthan Medical Services Corporation Ltd.
D-Block, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur - 302005
Ph. No. 0141-2223887, Fax No. 0141-2228065, E-Mail-edepmrmsc-rj@nic.in
Ref. No. : F-8() RMSC/EPM/M-4/NIB-945/2025-26/526 Dated :- 14/07/2026
Corrigendum / Addendum
Bid for item Semi Auto Analyzer are invited from interested bidders up to Date: 13.08.2026 06:00 P.M. Other particulars of the Corrigendum / Addendum may be visited on Procurement portal website https://sppp.rajasthan.gov.in or "www.dipronline.org" or "https://eproc.rajasthan.gov.in" or website "http://rmsc.health.rajasthan.gov.in".
UBN :- MSC2526GLOB00098
Director (P)
Rajasthan Medical Services Corporation
Raj.Samwad/C/26/7017
DNJ-404799

पूर्व रेलवे
विशेष सीमित निविदा सूचना
चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर/कोचिंग, यांत्रिक विभाग, पूर्व रेलवे, 17 एन.एस. रोड, फेयरली प्लेस सूचीबद्ध फर्मों से निम्नलिखित कार्य के लिए "एकल पैकेट प्रणाली" के तहत मुहरबंद निविदा आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम	सूचीबद्ध फर्मों के ज़रिए पूर्व रेलवे की निर्दिष्ट ट्रेनों में दो वर्ष (730 दिन) की अवधि के लिए बेहतर ऑन-बोर्ड सर्विसेस (ओबीएचएस और लिनन वितरण)
2	कार्य स्थल	पूर्व रेलवे (हावड़ा और सियालदह मंडल)
3	कार्य की अवधि	दो वर्ष (730 दिन)
4	कार्य का अनुमानित मूल्य	रु. 40,03,34,778.52 (जीएसटी सहित)
5	बयाना राशि (ऑनलाइन)	रु.21,51,700/– एफए एंड सीएओ, पूर्व रेलवे, कोलकाता के पक्ष में
6	निविदा प्रपत्र का मूल्य	शून्य
7	निविदा कागजातों की उपलब्धता	वेबसाइट www.ireps.gov.in
8	निविदा कागजातों की उपलब्धता की तिथि और समय	दिनांक 04.08.2026 को 14.50 बजे तक उपलब्ध
9	निविदा की अंतिम तिथि और समय	दिनांक 04.08.2026 को 15.00 बजे
10	निविदा के खुलने की तिथि और समय	दिनांक 04.08.2026, 15.30 बजे से। यदि निविदा खोलने की तिथि पर छुट्टी हो या कोई अन्य कारण हो, तो निविदा अगले कार्यदिवस पर खोली जाएगी।
11	निविदा के खुलने का स्थान	पूर्व रेलवे मुख्यालय, फेयरली प्लेस, यांत्रिक विभाग, पहली मंज़िल, फेयरली प्लेस, कोलकाता–700001

संख्या एमसी/385/रिफॉर्म ओबीएचएस–01/26 दिनांक : 15.07.2026
MISC-104/2026-27
निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है
हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter
DNA 404889

राजस्थान हाईकोर्ट का मानवीय फैसला: मंडोर ओपन एयर कैंप में होगी दो आजीवन कारावासियों की शादी, विवाह की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक आदेश

नवज्योति/जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बंदियों के मानवीय अधिकारों और उनके सामाजिक पुनर्वास को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी को मंडोर स्थित ओपन एयर कैंप में दूसरी सजायाफ्ता महिला बंदी से विवाह करने की अनुमति देते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि दो बालिग व्यक्तियों का विवाह करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मुलाराम की ओर से दायर अस्थायी सजा निलंबन आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मुलाराम नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र के एडसिंगा गांव का निवासी है और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्ष 2017 से जेल में है। वर्तमान में उसके अच्छे आचरण के आधार पर उसे मंडोर ओपन एयर कैंप में रखा गया है। अधिवक्ता कालूराम भाटी ने सुनवाई के दौरान बताया कि मुलाराम दूसरी सजायाफ्ता बंदी सीमा से विवाह करना चाहता है। सीमा फिलहाल पैरोल पर रिहा है। दोनों की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं और इससे उनके पुनर्वास तथा सामान्य सामाजिक जीवन की दिशा में सकारात्मक कदम होगा। सरकारी पक्ष ने भी कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिसमें दोनों के बीच संबंध और विवाह की इच्छा की पुष्टि की गई। लोक अभियोजकों ने यह भी कहा कि ओपन एयर कैंप में विधि सम्मत तरीके से विवाह कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

खंडपीठ ने अपने आदेश में पूर्व में दिए गए नंदलाल बनाम राज्य मामले के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने बंदियों के वैवाहिक एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों को अनुच्छेद-21 के दायरे में माना था। कोर्ट ने कहा कि विवाह जैसी संस्था को सभी प्रमुख धर्मों और संस्कृतियों में मान्यता प्राप्त है तथा यह समाज की आधारभूत इकाई है।

हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि विवाह समारोह में पंडित सहित दोनों पक्षों के अधिकतम 21 परिजनों को ओपन एयर कैंप में प्रवेश दिया जाए। यदि इससे अधिक लोगों की अनुमति आवश्यक हो तो प्रशासन अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा। विवाह की तिथि की सूचना पहले से जेल प्रशासन को दी जाएगी और समारोह के दौरान अनुशासन एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तें लागू की जा सकेंगी। विवाह का पूरा खर्च संबंधित पक्ष स्वयं वहन करेंगे।

प्रतिनिधि मंडल कर सकता है ऐतिहासिक धरोहरों की विजिट

जयपुर। जयपुर राज्यीय विदेशी संपर्क सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आरआईसी में गुरुवार को होने वाले इस सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का जयपुर प्रवास है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करेगा। कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संरक्षित आमेर महल और हवामहल का दौरा करेगा।

नगर निगम जोधपुर
क्रमांक:– 6466 दिनांक:– 13.07.2026
:: ई–निविदा सूचना ::
(UB NO. DLB2627WSOB10163)
नगर निगम जोधपुर की ओर से विभिन्न सिविल कार्यों हेतु ऑनलाईन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें आदि http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं https://lsg.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।
अधिशाषी अभियन्ता
नगर निगम जोधपुर
राज.संवाद/सी/26/7006
DNJ-404795

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल
ई–टेंडरिंग सूचना
संख्या : डब्ल्यू/623/एनआईटी/1, **दिनांक :** 13/07/2026. **क्रम संख्या: 1. ई–टेंडर नं. :** आरटीएम–2026–27–60. **कार्य का नाम :** रतलाम डिवीजन – जीआरपी थाना/बैरक में सुधार/मरम्मत (7 स्टेशन –दाहोद एस, एमजीएन, सीओआर, यूजेएन, एसईएच, आईएनडी एवं डीएडीएन)। **अनुमानित मात्रा :** निविदा अनुसूची के अनुसार। **अनुमानित लागत :** ₹52,45,620.57/– **बयाना राशि :** ₹1,04,900.00/– **निविदा प्रपत्र की कीमत :** शून्य। **कार्य समापन अवधि :** 12 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि :** 13/07/2026. **निविदा खुलने की तिथि :** 05/08/2026. **क्रम संख्या: 2. ई–टेंडर नं. :** आरटीएम– 2026–27–61. **कार्य का नाम :** 1. चंदेरिया–रतलाम – चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और शंभूपुरा स्टेशनों पर सम्बद्ध सुविधाओं के साथ मशीन साइडिंग उपलब्ध कराना, 2. रतलाम– खडवा – नौगांवा, बड़नगर और पालिया स्टेशनों पर सम्बद्ध सुविधाओं के साथ मशीन साइडिंग उपलब्ध कराना और 3. चंदेरिया–रतलाम खडवा सेक्शन – एसएसई (पीडब्ल्यू) एनएमएच, जेएओ, बीएनजी, डीएडीएन एवं केएनडब्ल्यू क्षेत्राधिकार के तहत कैजुअल रेल नवीनीकरण – कुल 11.0 टी किमी.. **अनुमानित मात्रा :** निविदा अनुसूची के अनुसार। **अनुमानित लागत :** ₹10,50,91,357.46/– **बयाना राशि :** ₹21,01,800.00/– **निविदा प्रपत्र की कीमत :** शून्य। **कार्य समापन अवधि :** 18 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि :** 13/07/2026. **निविदा खुलने की तिथि :** 05/08/2026. **क्रम संख्या: 3. ई–टेंडर नं. :** आरटीएम–2026–27–71. **कार्य का नाम :** 1. रतलाम डिवीजन – पॉइंट्समैन/ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए हट जिसमें इलेक्ट्रिकल का काम भी शामिल है और 2. रतलाम डिवीजन – 68 स्टेशनों पर पीएफ के किनारे की पेविंग और स्ट्रक्चरल हिस्सों के लिए अलग रंग–रूप की व्यवस्था करना (दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ)। **अनुमानित मात्रा :** निविदा अनुसूची के अनुसार। **अनुमानित लागत :** ₹5,81,45,063.08/– **बयाना राशि :** ₹11,62,900.00/– **निविदा प्रपत्र की कीमत :** शून्य। **कार्य समापन अवधि :** 15 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि :** 13/07/2026. **निविदा खुलने की तिथि :** 12/08/2026. **क्रम संख्या: 4. ई–टेंडर नं. :** आरटीएम–2026–27–72. **कार्य का नाम :** चंदेरिया स्टेशन – पीएफ नं. 2 और 3 के प्लेटफॉर्म को ऊँचा (हाई लेवल) करना। **अनुमानित मात्रा :** निविदा अनुसूची के अनुसार। **अनुमानित लागत :** ₹5,16,24,710.24/– **बयाना राशि :** ₹10,32,500.00/– **निविदा प्रपत्र की कीमत :** शून्य। **कार्य समापन अवधि :** 15 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि :** 13/07/2026. **निविदा खुलने की तिथि :** 12/08/2026. • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं।
SNP-156
हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly
DNA 404880

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020
AAVAS FINANCIERS LTD. SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA
कब्जा नोटिस
जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
राजू दरोगा, दुर्गा देवी खाता सं. 231213403258951	6 जनवरी 2026 ₹ 752715/- 5 जनवरी 2026	पट्टा नं. 14 ग्राम रामपुरिया, जी.पी. जलिंदी, बिजोलियां, भीलवाड़ा, राजस्थान **क्षेत्रफल 1050 वर्ग फीट**	भौतिक कब्जा दिनांक 11 जुलाई 2026
नारायण सिंह, पार्वती पार्वती, लाखु सिंह जमानतदार : जीतूराम जीतूराम खाता सं. 221206202441114 व 241206203475702	5 अगस्त 2025 ₹ 648667/- व ₹ 339050/- 3 अगस्त 2025	पट्टा नं. 601/2021 ग्राम पंचायत-मोरखाना, पंचायत समिति-नोखा बीकानेर, राजस्थान 334801 **क्षेत्रफल 7008 वर्ग फीट**	भौतिक कब्जा दिनांक 10 जुलाई 2026
लक्ष्मी लाल सुथार, हेमलता हेमलता जमानतदार : सुरेश चन्द्र खाता सं. 231215703258734	5 अगस्त 2025 ₹ 890746/- 3 अगस्त 2025	पट्टा नं. 015 ग्राम पंचायत कचुमरा, पी.एस. बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान (भारत) - 312403 **क्षेत्रफल 846 वर्ग फीट**	भौतिक कब्जा दिनांक 10 जुलाई 2026

स्थान : राजस्थान दिनांक : 16-07-2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
DNJ-404828

HDFC BANK We understand your world
नीलामी बिक्री सूचना
संबंधित ऋणकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध ऋण खातों में सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/गहनों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव है, ये वस्तुएं उन ऋणकर्ताओं द्वारा प्रतिज्ञा की गई थीं जिन्होंने निष्पादित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अपनी देनदारियों का पुनर्भुगतान न कर पाने के बावजूद, HDFC बैंक लिमिटेड ('बैंक') द्वारा उनके बकाया राशि चुकाने के लिए जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक ने पहले नोटिस जारी किए थे जिसमें ऋणकर्ताओं को उनके संबंधित लोन खातों में पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए सात (7) दिनों का समय दिया गया था। चूंकि ऋणकर्ताओं ने अपने खातों को नियमित नहीं किया है, बैंक ने, ऋण समझौते और लागू कानून के तहत बंधककर्ता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, गिरवी को लागू करने और देय राशि वसूलने के लिए गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषण/गहनों की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया है।
नीलामी नीचे उल्लेखित शाखा(ओं) में दोपहर 3:30 बजे से आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश कोई भी गिरवी रखी गई सुरक्षा की नीलामी निर्धारित तिथि पर आयोजित या पूरी नहीं की जा सकती है, तो बैंक बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के किसी भी आगामी तिथि और समय पर नीलामी जारी रखने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र.सं.	ऋण नंबर	ऋणियों का नाम	ऋण राशि	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थान (शाखा पता)
1	74181618	अब्दुल महबूब	300000	24-जुलाई-26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, होटल भवानी पैलेस, खसरा संख्या 936/532, तिरुपति नगर, पीएचडी कार्यालय के पास, भट्टी कॉम्प्लेक्स, फलसून तिराहा, जोधपुर रोड, पोकरण, जिला जैसलमेर, राजस्थान - 345021
2 3	74438089 75685917	धना राम राकेश	201000 158000	24-जुलाई-26 24-जुलाई-26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, खसरा संख्या 2155/15, एलआईसी कार्यालय के पास, एनएच-125, बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान - 342023
4	75917629	लिछी भंवर लाल	130000	17-अगस्त-26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, केशव कॉम्प्लेक्स, प्लॉट संख्या 15, निम्बेरा हाउस, मंडोर रोड, पावटा, जोधपुर, राजस्थान - 342001
5 6	75948130 4001188481	रुगनाथ राम भूपेन्द्र सिंह	200800 166000	24-जुलाई-26 24-जुलाई-26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दुकान संख्या 29/30/31, सब्जी मंडी रोड, जालोर रोड, भीनमाल, राजस्थान - 343029
7	75956467	भोम सिंह	155000	24-जुलाई-26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 401, शिव रोड, जैसलमेर, राजस्थान - 345001

नीलामी को सख्ती से ''जैसा है वहाँ है'', ''जैसा है वह है'', और ''जो कुछ है वही है'' के आधार पर किया जाएगा।
बैंक गिरवी रखे गए सोने के गहनों/आभूषणों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेटेज, वजन, या मूल्यांकन के संबंध में कोई वारंटी और स्पष्ट या निर्धारित प्रतिनिधित्व नहीं देता है। संभावित बोलीदाता नीलामी से पहले पंजीकृत वस्तुओं की स्थिति, शुद्धता, कैरेट, वजन और मूल्यांकन की जांच करने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। नीलामी से 45 मिनट पहले निरीक्षण की अनुमति पूरी तरह से बोलीदाताओं की लागत, जोखिम और विवेक पर दी जाएगी।
नीलामी में भाग लेकर, बोलीदाता यह माना जाएगा कि उन्होंने गिरवी रखी गई वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण किया है और बैंक द्वारा किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व पर निर्भर किए बिना सभी संबंधित जोखिमों को स्वीकार करते हैं। बिक्री के बाद किसी भी परिस्थिति में वापसी, विनिमय, रिफंड, मुआवजा, या रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी बोलियां बैंक द्वारा लागू नियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के अधीन होंगी। नीलामी मूल्य इस पर आधारित होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कम है: (a) पिछले तीस (30) दिनों के लिए सोने का औसत समापन मूल्य या (ख) भारत बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा तुरंत पूर्ववर्ती दिन प्रकाशित सोने का अंत मूल्य। बैंक को आरक्षित मूल्य को अंतिम रूप देने और आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अतिरिक्त शर्तों को लगाने का एकमात्र विवेकाधिकार है।
यदि कोई भी ऋणकर्ता नीलामी शुरू होने से पहले ऋण अनुबंध के अनुसार संपूर्ण बकाया राशि चुका देता है, तो उस खाते के लिए गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/गहने, बैंक के विवेकानुसार, आगे की सूचना के बिना नीलामी से वापस ले लिए जा सकते हैं। नीलामी और किसी भी परिणामी बिक्री पर किसी भी आगे के नियम और शर्तें लागू रहेंगी, जिन्हें बैंक, अपनी एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, समय-समय पर लागू, संशोधित या निर्धारित कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि बैंक के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को नीलामी की कार्यवाही को बिना पूर्व सूचना के स्थगित करने, टालने, संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने का पूर्ण और असीमित विवेकाधिकार प्राप्त है। अधिकृत अधिकारी किसी भी बोली(यों) को, पूरे या आंशिक रूप से, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, और यह निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।
दिनांक: 16.07.2026, स्थान: जोधपुर, जैसलमेर हस्ता./- अधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
DNJ-404845

पूर्व रेलवे
ई–निविदा सूचना सं.: ओ–एसी–टी–106 से 109–26–27 (खुली), दिनांक 13.07.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन–713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदाएँ (खुली) आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम सं. 1, केस संख्या :** ओ–एसी–टी–106–26–27, **कार्य का नाम:** डीईएन/4/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र में आसनसोल मंडल में अंडाल और दुर्गापुर स्टील एक्सचेंज यार्ड के मौजूदा संयुक्त रनिंग रूम के विस्तार और दुर्गापुर स्टील एक्सचेंज यार्ड क्रू लॉबी के उन्नयन, रनिंग रूम के विस्तार और ट्रैक रखरखाव और परिचालन कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे, जिसमें गैंग हट्स, गुमटियां, पीने के पानी की सुविधाएं, रास्ते आदि का प्रावधान शामिल है, के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 8,44,13,153.82, **बयाना राशि :** रु. 16,88,300/–, **क्रम सं. 2, केस संख्या :** ओ–एसी–टी–107–26–27, **कार्य का नाम:** एईएन/2/अंडाल के तहत तापसी–सीतारामपुर आउटर (सीतारामपुर स्टेशन को छोड़कर) लाइन, तापसी–बाराबानी (टीबी) कॉर्ड लाइन, तापसी–बेलबांध साइडिंग लाइन और सोनाचारा–जामबंध साइडिंग लाइन और साथ ही ए.एस. कॉर्ड लाइन के माध्यम से अंडाल आउटर (अंडाल स्टेशन को छोड़कर) खंड में अनुपयोज्य पीएससी स्लीपर द्वारा रेलवे भूमि डिमार्केशन (सीमांकन) पिलर के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 57,53,325.62, **बयाना राशि :** रु. 1,15,100/–, **क्रम सं. 3, केस संख्या :** ओ–एसी–टी–108–26–27, **कार्य का नाम:** डीईएन/4/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र के तहत सोनपुर बाजारी साइडिंग (पी.वे कार्यों के लिए) पर एक समय में वार्फ (पीएफ लाइन) में लोडिंग के साथ–साथ दोनों साइलो लाइनों में एक साथ लोडिंग के लिए साइलो लाइन नंबर 01 और लाइन नंबर 02 के बीच एक क्रॉस ओवर के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 62,60,976.31, **बयाना राशि :** रु. 1,25,200/–, **क्रम सं. 4, केस संख्या :** ओ–एसी–टी–109–26–27, **कार्य का नाम:** डीईएन/4/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र के तहत सोनपुर बाजारी साइडिंग (सिविल कार्यों के लिए) पर एक समय में वार्फ (पीएफ लाइन) में लोडिंग के साथ–साथ दोनों साइलो लाइनों में एक साथ लोडिंग के लिए साइलो लाइन नंबर 01 और लाइन नंबर 02 के बीच एक क्रॉस ओवर के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 75,22,975.48, **बयाना राशि :** रु. 1,50,500/–, **कार्य की समापन अवधि:** 12 माह (क्रम सं. 1 हेतु), 06 माह (क्रम सं. 2 हेतु) और 04 माह (क्रम सं. 3 एवं 4 हेतु)। **बंद होने की तिथि और समय:** 10.08.2026 को 12.00 बजे प्रत्येक हेतु। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in में देखा जा सकता है। ASN-